भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3661

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन

3661. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन सामाजिक समरसता के लिए किसी योजना पर काम कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ सहयोग कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन देश भर के साथ-साथ विदेशों में भी बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा और संदेश को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों और गतिविधियों को कार्यान्वित कर रहा है। डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन निम्नलिखित योजनाएं/गतिविधियां चला रहा है:

i. डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना,
ii. माध्यमिक परीक्षा के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार,
iii. वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना,
iv. महान संतों की जयंती/पुण्यतिथि मनाने के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना;
v. डॉ. अम्बेडकर पीठ योजना;
vi. संसद भवन लॉन में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जयंती और पुण्यतिथि का आयोजन।

देश भर के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उन्नीस डॉ. अम्बेडकर पीठ स्थापित की गई हैं। इस योजना का उद्देश्य इस प्रकार है:

- प्रमुख विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में उन्नत शिक्षण केंद्र उपलब्ध कराना,

जहां शिक्षाविद्, स्कॉलर्स और छात्र डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के विचारों को समझने, उनका आकलन करने, उनका प्रसार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए अध्ययन और अनुसंधान को समृद्ध और उन्नत करेंगे।

- अनुसंधान के परिणामस्वरूप, विशेष रूप से अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, धार्मिक अध्ययन, दर्शनशास्त्र, संवैधानिक अध्ययन, शिक्षा, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, कानून, मानवाधिकार के साथ-साथ अन्य विषयों, जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक माना जाता है, के क्षेत्र में ज्ञान के उन्नयन में योगदान देना।

- भारतीय समाज के लाभवंचित वर्गों को न्याय प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उनके वर्तमान और अतीत पर उन्नत अनुसंधान और शिक्षण आयोजित करना।
- समाज के लाभवंचित/उत्पीड़ित समूहों या पिछड़े वर्गों अथवा कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर अनुसंधान और उच्च अध्ययन करना।

- अपने शोध कार्यों के परिणामों को यूजीसी-केयर सूची से समकक्ष-समीक्षित अनुक्रमित पत्रिकाओं में विद्वत्तापूर्ण लेखों के रूप में प्रकाशित करना तथा सुदृढ़ समकक्ष-समीक्षा नीति वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करना।

- भारतीय जनसंख्या के लाभवंचित वर्गों के उत्थान के लिए डॉ. अम्बेडकर के न्याय और सशक्तिकरण के विचारों को व्यावहारिक प्रस्तावों और नीतिगत साधनों में परिवर्तित करने के लिए उचित पद्धतियों का विकास करना।

*****